कार्यालय नगरपालिका मण्डल, तारानगर (चूरु) राज.

मिसल संख्या 78 परिशिष्ट

दिनांक 27-07-2017 पट्टा क्रमांक 78 दिनांक 27-07-2017

श्रीमती वसुंधरा राजे माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

संस्थागत
~~आवासीय एवं वाणिज्यिक~~ प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का नियमन/आवंटन पत्र
राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2017 के माह 07 के 20 वे दिन नगर पालिका मण्डल, तारानगर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री देव शिक्षा विकास समिति तारानगर जरिये अध्यक्ष सत्यवीर सिंह पुत्र श्री रामजीलाल सेखु जाति जाट व्यवसाय शैक्षणिक निवासी सेऊवा त. तारानगर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग वे वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है। नियमन राशि 136302/-, बाह्य विकास शुल्क 142443/-, कार्ट शुल्क 13631/-, पट्टा शुल्क 100/-, प्रतिवर्ष लीज 8 वर्ष -भुगतान 1549/- रसीद संख्या 41/66 दिनांक 27-07-2017

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा कर दी गई और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसें बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना कार्ट से 3-क्लॉथे राजस्व ग्राम तारानगर के खसरा संख्या 1530/764 क्षेत्रफल 15489.89 वर्गगज में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्तत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 8 वर्षीय लीज एक मुश्त एक लाख नौ हजार बियालिस मात्र/- अंके 109042/- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

शामिल दस्तावेज रहे
उप पंजीयक

3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल......[illegible]......प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा जो राज्य सरकार द्वार समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों को कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लघंन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

सम्बधित लिपिक | अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका/तारानगर | अध्यक्ष, नगरपालिका/तारानगर

1. नियमित / आवंटित भूखण्ड की चतुर्दिशा

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
भूमि विक्रेता	रास्ता 20'	देव कॉलेज (देव शिक्षा विकास समिति)	रास्ता 20'

2. नियमित / आवंटित भूखण्ड की नाप व क्षेत्रफल

क्र.सं.	उत्तर	दक्षिण	औसत	पूर्व	पश्चिम	औसत	क्षेत्रफल (व.फु.)	क्षेत्रफल (व.गज)
01.	82'-0"	82'-0"	82'-0"	170'-0"	170'-0"	170'-0"	1548.89 वर्गगज	

3. मानचित्र 1cm = 25'

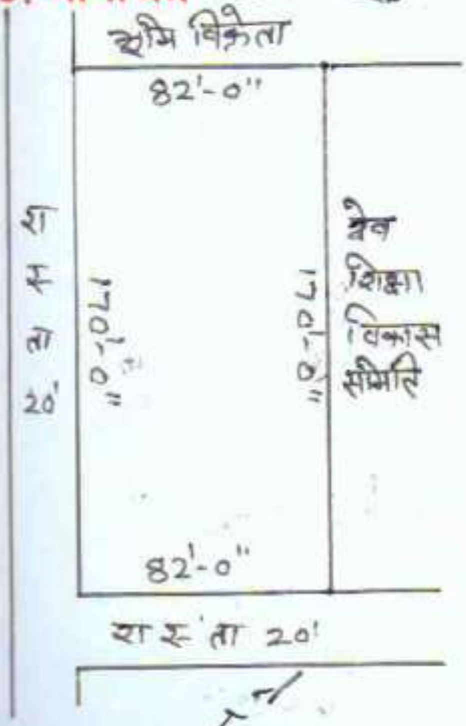

प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पट्टा विलेख इस अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में निष्पादित मय प्रतिकृति रजिस्ट्रीकृत भूमि क्रमांक 5159 दिनांक 13-08-07 पंजीयन दिनांक 13-08-07 के आधार पर आवेदक द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 22-06-17 को पेश कर आवेदन एवं अभिलेख के आधार पर जारी किया गया (नोटेरी प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न है।

उत्तर

शामिल दस्तावेज रहे

उप पंजीयक तारानगर (चूरू)

सम्बन्धित लिपिक

अधिशाषी अधिकारी
अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका तारानगर
नगरपालिका तारानगर

अध्यक्ष
अध्यक्ष नगरपालिका तारानगर (चूरू)
नगरपालिका तारानगर

(देव शिला विकास समिति)

परिशिष्ट

कस्बे का नाम तारानगर

राजस्व ग्राम तारानगर

खसरा नम्बर 1520/764

योजना का नाम कच्चे से अग्रीम

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/

मीटर 1548.89 वर्गगज

पूर्व देव कॉलेज पश्चिम खाली भूमि भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो

सीमा उत्तर भूमि विक्रेता दक्षिण रास्ता 20' मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगर निकाय की ओर से

आज सन् 20 17 के माह 07 के 20 वे दिन

श्री अध्यक्ष / अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका तारानगर

न.पा.ता. ने निम्न की उपस्थिति

में (स्थान) में हस्ताक्षर किये–

अध्यक्ष

अधिशाषी अधि...

नगर निकाय – प्रथम पक्ष

नगरपालिका तारानगर

(सक्षम अधिकार के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :–

1. नाम ....

पुत्र ....

व्यवसाय ....

निवास स्थान ....

साक्षी

"इस पट्टे वाले भूखण्ड पर निर्मित भवन का नियमितिकरण नहीं किया गया, केवल भूखण्ड के स्वामित्व हेतु पट्टा जारी किया गया है।"

"मुख्यमंत्री शहरी जन-कल्याण शिविर-2017"

2. नाम ....

पुत्र ....

व्यवसाय ....

निवास स्थान ....

साक्षी

आज गुरुवार सन् 20 17 के माह 07 के 20 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री देव शिला विकास समिति तारानगर जरिये श्री सतवीर सिंह लीजधारक द्वारा कार्यालय .... में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

साक्षी :–

1. नाम प्रमोद कुमार

पुत्र सीताराम

व्यवसाय शिक्षा

निवास स्थान तारानगर

साक्षी

2. नाम रणवीर सिंह शेखावत

पुत्र रामजी लाल

व्यवसाय प्राइवेट

निवास स्थान सेकवास तारानगर (चूरू)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

582729

राजस्थान सरकार
25 JUL 2017
उपकोष, तारानगर

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका तारानगर
(विक्रेता)

बनाम

देव शिक्षा विकास समिति तारानगर
जरिये सचिव सत्यवीर सिंह पुत्र
रामजीलाल वार्ड नं. 16 तारानगर
(क्रेता)

दस्तावेज मालयति राशि रूपये 4,03,067/– स्टाम्प रूपये 20,000/– तादादी भूमि 1548.89 वर्गगज वार्ड नं. 16, तारानगर संस्थागत नियमन पट्टा संख्या 78 दिनांक 27.07.2017 तकमिलन रहे।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका तारानगर (चूरू)

अध्यक्ष
नगरपालिका तारानगर (चूरू)

गवाह:- रनवीर पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी डेऊवा तहसील राजगढ़

गवाह:- अमरसिंह पुत्र रुघालीराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा

Presentation Endorsement

आज दिनांक 03 माह 08 सन् 2017 को 04:38 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SATYAVEER पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMJILAL
उम्र 40 वर्ष, जाति JAAT , व्यवसाय Farmer
निवासी House No.:NA, Colony: NA, Area: TARANAGAR , City: TARANAGAR , Pin code: 331304, District: CHURU, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201701341004476

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
TARA NAGAR

Lease deed u/s 90A of RLR in favor of Khatedaar (Male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201702341002139
दिनांक	03-08-2017
पंजीयन शुल्क ₹	4040
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	20160
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	4040
कुल योग	28540

201701341004476

उप पंजीयक, TARA NAGAR

Lease deed u/s 90A of RLR in favor of Khatedaar (Male)

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री SATYAVEER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMJILAL , व्यवसाय Farmerजाति JAAT House No.:NA, Colony: NA, Area: TARANAGAR , City: TARANAGAR , Pin code: 331304, District: CHURU, State: RAJASTHAN			Presenter Age : 40 Signature :
2 श्री/श्रीमती/सुश्री SATYAVEER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMJILAL , व्यवसाय Farmerजाति JAAT House No.:NA, Colony: NA, Area: TARANAGAR , City: TARANAGAR , Pin code: 331304, District: CHURU, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 40 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed u/s 90A of RLR in favor of Khatedaar (Male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 403100/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मे से रु 403100/- पूर्व में ———— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAN VEER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMJILAL जाति JAAT Age: 43 Add: House No.:NA, Colony: NA, Area: SEUVA , City: TARANAGAR , Pin code: 331304, District: CHURU, State: RAJASTHAN			Signature
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री AMAR SINGH , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री KHIYALI RAM जाति JAAT Age: 61 Add: House No.:NA, Colony: NA, Area: JANANA, City: BHADRA, Pin code: 335501, District: HANUMANGARH, State: RAJASTHAN			Signature

201701341004476

Lease deed u/s 90A of RLR in favor of Khatedaar (Male)

उप पंजीयक, TARA NAGAR

उप पंजीयक तारानगर (चूरू)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 403100 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 20160 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 4040, सरचार्ज राशि 4040 कुल रु 28240 रसीद संख्या 201702341002139 दिनांक 03-08-2017 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 20160 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201701341004476

उप पंजीयक, TARA NAGAR

तारानगर (चूरू)

Lease deed u/s 90A of RLR in favor of Khatedaar (Male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 03/08/2017 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 524 में
पृष्ठ संख्या 199 क्रम संख्या 201703341103379 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 599 के
पृष्ठ संख्या 11 से 18 पर चस्पा किया गया।

201701341004476

उप पंजीयक, TARA NAGAR

तारानगर (चूरू)

Lease deed u/s 90A of RLR in favor of Khatedaar (Male)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : TARA NAGAR

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 03-08-2017 4:41 PM

Fee Receipt No	: 201702341002139	Receipt Date	: 03/08/2017
Name	: SATYAVEER .	Document S. No.	: 201701341004476
Address	: NA ,NA ,TARANAGAR ,CHURU		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 403100	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 4040	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 4040	Stamp Duty	: ₹ 20160
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 28540
		Total Amount	: ₹ 28540

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 0018122302 ₹ 4540 # Stamp N.A. ₹ 24000

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)